तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.6.18 रामलाल रंगलाल	**न्याय आपके द्वार अभियान - 2018** पत्रावली कैम्प कोर्ट नान्दला में पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी क्र 1,2,4 स्वयं ने उपस्थित हो कर जवाब पेश किया व निवेदन किया कि आगामी मुताबिक के विभाजन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे। उभयपक्ष को सुना गया। निर्णय लिखाया गया जो शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट : नान्दला	संतोष (नवीन कुमार) (सत्यनारायण)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 12/2017
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – बाघसूरी

उनवान

1. रामा उर्फ रामदेव पुत्र पन्नालाल
2. रंगजी उर्फ रंगलाल पुत्र पन्नालाल
3. नर्बदा पत्नी रामदेव
4. मंजू पत्नी रंगलाल जाति माली निवासी बुबानिया

–– वादीगण :– ज़रियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. नवीन कुमार पुत्र शिवराज
2. सत्यनारायण पुत्र किशना
3. कमला पुत्री किशना
4. संतोष पुत्री किशना, जाति माली निवासी ग्राम बुबानिया
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भवानीखेडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–6.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 558/572 किता 11 रकबा 1.88, खाता संख्या 264/53 किंता 4 रकबा 0.70, खाता संख्या 265/57 किंता 5 रकबा 1.23 वादी एवं प्रतिवादीगण की अलग अलग खातेदारी एवं क्रयशुदा भूमि है। खाता संख्या 558/572 में पन्ना के 3 वारिसान है जिनका प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है, वर्तमान में सुरजी बेवा पन्ना की मृत्यू हो चुकी है, जिसके वारिसान भी उपरोक्त ही है, खाता संख्या 264/53 व खाता नम्बर 265/57 में भी 1/3 हिस्सा प्रत्येक का निहित है, जिसे हिस्सेअनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। उक्त आराजीयात रिकार्ड एवं मौके पर अविभाजित है एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है उक्त आराजी का आदिनांक तक विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी करते है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट बाघसूरी में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंटवारे हेतु आराजी कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में बंटवारा कराने की अपनी सहमति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादी व प्रतिवादीगण दोनो ही उक्त आराजी का विभाजन कराने हेतु सहमत है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। शेष प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव के दौरान अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 5 के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। कुछ खातेदारों की विरासत दर्ज नहीं है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 558/572 किता 11 रकबा 1.88, खाता संख्या 264/53 किंता 4 रकबा 0.70, खाता संख्या 265/57 किंता 5 रकबा 1.23 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदारों की विरासत दर्ज करते हुए बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री'जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्याय आपके द्वार 2018
प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रामा उर्फ रामदेव बनाम नवीन कुमार

दावा बाबत :– 88, 188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –12/17
पेश करने की दिनांक – 9.1.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 558/572 किता 11 रकबा 1.88, खाता संख्या 264/53 किता 4 रकबा 0.70, खाता संख्या 265/57 किता 5 रकबा 1.23 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदारों की विरासत दर्ज करते हुए बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 06 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद